लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक: 444/66-P/2018-1 दिनांक 20.8.18

(विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र)

गोमती नगर योजना में स्थित टी.सी./जी–6/6, विभूति खण्ड, लखनऊ पर डी.एल.एफ. होम डेवलपर्स लि0 द्वारा निर्मित व्यवसायिक/स्टूडियो अपार्टमेन्ट्स भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 6, प्रपत्र–ब, प्रपत्र–3/3(प्रपत्र–ब) एवं परिशिष्ट–11 पर डी0एल0एफ0 होम डेवलपर्स लि0 के अधिकृत हस्ताक्षरी श्री राजीव सिंह एवं श्री संजय सिकरी, वास्तुविद श्री पुनीत श्रीवास्तव, रजिस्ट्रेशन नं0–सी.ए./91/14249 एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर श्री अजय साहनी, निवासी एस–13/25, डी.एल.एफ., फेज–3, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा प्रमाणित सूचनायें एवं अन्य, अग्नि शमन विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग(विद्युत एवं लिफ्ट्स, डी.जी. सेट्स आदि) द्वारा दिये गये सम्पूर्णता प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रमाणित सूचनाओं के साथ प्रमाण पत्र का परीक्षण श्री नित्यानन्द चौबे व श्री अम्बरीश कुमार शर्मा, अवर अभयन्ताओं तथा श्री राकेश प्रताप, सहायक अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है एवं निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृत मानचित्र परमिट सं0–39783, दिनांक 18.03.2016 के अनुसार सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार निम्न शर्तों के आधार पर उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 14.08.2018 के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

प्रतिबन्धः–

1. भवन का रख–रखाव नियमानुसार विकासकर्ता/रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को सुनिश्चित करना होगा। समस्त संयुक्त अवस्थापना सुविधाओं को नगर निगम/अन्य सम्बन्धित विभागों को हस्तान्तरित किये जाने के साथ–साथ हस्तान्तरण तक क्रियाशील रखने एवं किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
2. अग्नि शमन विभाग तथा अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्रों में उल्लेखित प्रतिबंधों का सदा पालन करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्राप्त कर अग्निशमन उपकरण क्रियाशील रखना होगा।
3. आवंटी द्वारा यदि विकास कार्य/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई शिकायत कमी या अभाव हो तो समस्त समस्याओं का निराकरण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता या रेजीडेन्ट एसोसिएशन समिति का होगा।
4. तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.03.2016 के क्रम में अलग की गयी तालाब की भूमि तथा अवशेष भूमि के मध्य बाउण्ड्रीवाल का निर्माण अध्यासन से पूर्व करना होगा।
5. विक्रय–विलेख तथा स्वीकृत मानचित्र परमिट संख्या–39783, दिनांक 18.03.2016 में अंकित समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना होगा।
6. अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा। RERA के समस्त नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा।
7. निर्मित बहुमंजिले भवन में सभी सुरक्षा प्रबन्धों का अधिष्ठापन/रख–रखाव सदैव सुनिश्चित करना होगा तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षति/हादसा होने पर आवेदक एवं संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. भवन में अध्यासन के उपरान्त यदि उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है अथवा शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर........ भूपेन्द्रवीर सिंह, अधिशासी अभियन्ता ल0वि0प्रा0

पदनाम अधि0अभि0, जोन–1 (प्रवर्तन)